उत्कृष्ट परिणाम पर सम्मान समारोह, छात्राओं ने रैली निकालकर किया जनजागरण

गुलाबबाड़ी में शिक्षा का उत्सव, मेधावी छात्राओं के साथ निकली प्रेरणादायक रैली।

अजमेर(निसं)। पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, गुलाब बाड़ी में बुधवार को शिक्षा के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं के सम्मान में एक भव्य रैली का आयोजन किया गया। सत्र 2025-26 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली 48 छात्राओं, विद्यालय कार्मिकों और विद्यालय विकास समिति के सदस्यों के सहयोग से कक्षा 9 से 12 तक की लगभग 200 छात्राओं ने इस रैली में भाग लिया।

आदेश सेवा समिति के सदस्यों ने हरी झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना: रैली को प्रधानाचार्य अनीता मीणा एवं विद्यालय विकास समिति के सदस्य दिलीप, धर्मेंद्र कुमार, सुंदर टांक सहित आदेश सेवा समिति के सदस्यों ने हरी झंडी दिखाकर विद्यालय परिसर से रवाना किया। रैली का मार्ग विशेष रूप से उन क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए तय किया गया, जहां से छात्राएं विद्यालय में अध्ययन के लिए आती हैं। रैली मिस्त्री मोहल्ला, तेजाजी की देवली, नया घर, धौला भाटा, तिलक नगर, जगदंबा कॉलोनी, शिव कॉलोनी और साईं विहार कॉलोनी से होते हुए करीब 3 किलोमीटर का सफर तय कर पुनः विद्यालय पहुंची।

रैली का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में जनजागरूकता फैलाना: प्रधानाचार्य अनीता मीणा ने बताया कि इस रैली का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में जन जागरूकता फैलाना, होनहार छात्राओं को देखकर अन्य विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ाना तथा शिक्षा विभाग द्वारा संचालित प्रवेशोत्सव को सफल बनाना है। रैली के दौरान विभिन्न स्थानों पर स्वागत बिंदु बनाए गए, जहां स्थानीय संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों ने छात्राओं का पुष्प वर्षा कर उत्साहवर्धन किया। गुलाब बाड़ी स्थित तेजाजी की देवली पर आदेश सेवा समिति द्वारा छात्राओं को अल्पाहार वितरित किया गया, वहीं धोला भाटा क्षेत्र में राजेश घाटे द्वारा पुष्प वर्षा कर छात्राओं का स्वागत किया गया और केले वितरित किए गए। इस अवसर पर राजेश घाटे ने विद्यालय के उत्कृष्ट परिणामों की सराहना करते हुए बताया कि यह विद्यालय अजमेर जिले में इस वर्ष द्वितीय स्थान पर रहा है, जो पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है। रैली के समापन के बाद विद्यालय परिसर में आयोजित समारोह में आदेश सेवा समिति, गुलाब बाड़ी के तत्वावधान में 75 प्रतिशत और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को सम्मानित किया गया। छात्राओं को स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा (मोमेंटो), ज्योमेट्री बॉक्स एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए।

आदेश सेवा समिति के अध्यक्ष मोनू भैया व वेदप्रकाश सिसोदिया ने बताया कि गुलाब बाड़ी क्षेत्र में इस वर्ष विद्यालय का परिणाम अब तक का सर्वश्रेष्ठ रहा है, जो क्षेत्र की बालिकाओं के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि प्रतिभाओं को सम्मानित करना समाज का दायित्व है और भविष्य में भी विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे।

छात्राओं को प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की: कार्यक्रम के दौरान विद्यालय की व्याख्याता भारती धगैया द्वारा 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि छात्राओं की सफलता में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो उन्हें निरंतर बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करते हैं। बोर्ड परीक्षा प्रभारी ने कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों, जनप्रतिनिधियों एवं सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विद्यालय का परिणाम लगातार उत्कृष्ट होता जा रहा है, जो सभी के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है।

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण,अजमेर

मूल आवंटी/अन्तरिति की मृत्यु पर उत्तराधिकारियों द्वारा निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र के आधार पर नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप

-आम सूचना-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की चन्द्रवरदाई नगर योजना के आवासीय भूखण्ड सख्या A-530 क्षेत्रफल 178.37 वर्ग मीटर आवंटी/अन्तरिति श्रीमती रजनी शर्मा पत्नि दीपक शर्मा निवासी 464/25 देवनगर चुगी चोकी ब्यावर रोड अजमेर की मृत्यु दिनांक 27/9/25 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र व सजरा रिपोर्ट सलग्न कर मृतक के वारिसो क्रमश (1) आयुष शर्मा पुत्र दीपक शर्मा (2) श्रीमती साक्षी शर्मा पुत्री दीपक शर्मा पत्नि आकाश कुमार (अजमेर) (3) दीपक शर्मा निवासी 464/25 देवनगर चुगी चोकी ब्यावर रोड अजमेर द्वारा अपने सहहिस्सदार दीपक शर्मा पुत्र मुन्नालाल शर्मा निवासी 464/25 देवनगर चुगी चोकी ब्यावर रोड अजमेर के पक्ष मे निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 19/2/2026 के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है उक्त नामान्तरण किये जाने के संबध मे किसी को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज करावें उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी व आवेदको के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी।

- योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण,अजमेर

मूल आवंटी / अन्तरिति की मृत्यु पर उत्तराधिकारियों द्वारा निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र के आधार पर नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप

-आम सूचना-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की चन्द्रवरदाई नगर योजना के आवासीय भूखण्ड सख्या B-225 क्षेत्रफल 136.11 वर्ग गज आवंटी / अन्तरिति श्रीमती उषा मल्होत्रा पत्नि स्व नन्द किशोर मल्होत्रा निवासी F-65 चन्द्रवरदाई नगर अजमेर की मृत्यु दिनांक 23/7/14 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र व सजरा रिपोर्ट सलग्न कर मृतक के वारिसो क्रमश (1) कपिल मल्होत्रा पुत्र नन्द किशोर मल्होत्रा (2) दिव्या मल्होत्रा पुत्री स्व दीपक मल्होत्रा पत्नि रशपाल सिंह निवासी प्रेमनगर गांधी नगर आबू रोड सिरोही (3) सुश्री मिनाली मल्होत्रा पुत्री स्व दीपक मल्होत्रा निवासी रामगंज अजमेर द्वारा अपने सहहिस्सदार डार्विन मल्होत्रा पुत्र स्व नन्दकिशोर निवासी F-65 पांचवी गली रामगंज थाने के सामने चन्द्रवरदाई नगर अजमेर के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 23/3/2026 के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है उक्त नामान्तरण किये जाने के संबध में किसी को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज करावें उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार योग्य नही होगी व आवेदको के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी।

- योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर

कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, अजमेर

क्रमांक : 39 | जाहिर आम सूचना | दिनांक -08-04-26

राजस्थान आवासन मण्डल आवास संख्या 2-ख-50 आनासागर सरक्यूलर रोड अजमेर क्षेत्रफल 32.00 वर्ग मीटर मूल आवंटी श्रीमती बलविन्द्र कौर पत्नि श्री जोगेन्द्रसिंह की आवंटित कर दिनांक 06.02.1980 को आवास का भौतिक कब्जा सौपा गया था। श्रीमती बलविन्द्र कौर पत्नि श्री जोगेन्द्रसिंह द्वारा दिनांक 26.09.2013 को उप पंजीयक कार्यालय द्वारा उक्त आवास का पंजीयन करवा लिया गया। पंजीयन पश्चात् श्रीमती बलविन्द्र कौर पत्नि श्री जोगेन्द्रसिंह द्वारा आवास का वैचान श्रीमती लक्ष्मी काजवानी पत्नि श्री सुन्दरदास काजवानी को दिनांक 26.09.2013 को कर दिया गया। जो कि पंजीयन विभाग की पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 1812 में पृष्ठ संख्या 177 क्रम संख्या 2013006168 पर पंजीबद्ध किया गया। तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 4243 के पृष्ठ संख्या 172 से 182 पर दिनांक 26.09.2013 को चस्पा किया गया है। अब श्रीमती लक्ष्मी काजवानी पत्नि श्री सुन्दरदास काजवानी ने उक्त आवास से संबंधित विक्रय चैनल प्रस्तुत कर स्वयं के नाम दोहरा पंजीयन उपरांत नाम हस्तान्तरण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। श्रीमती लक्ष्मी काजवानी पत्नि श्री सुन्दरदास काजवानी का नाम मण्डल रिकार्ड में प्रतिस्थापन की कार्यवाही विचाराधीन है। अतः उक्त कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस जाहिर आम सूचना की विज्ञप्ति के प्रकाशन के 10 दिवस में अपनी उजरदारी / आपत्ति मय सबूत एवं पहचान के दस्तावेज के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। बाद मियाद गुजरने पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी, नाम प्रतिस्थापन की अग्रिम कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।

-सहायक प्रशासनिक अधिकारी राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड अजमेर

कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, अजमेर

क्रमांक : 40 | जाहिर आम सूचना | दिनांक -08-04-26

राजस्थान आवासन मण्डल आवास संख्या 2-ख-51 आनासागर सरक्यूलर रोड, अजमेर क्षेत्रफल 32.00 वर्ग मीटर मूल आवंटी श्री जोगेन्द्रसिंह पुत्र श्री सोहन सिंह को आवंटित कर दिनांक 25.10.1979 को आवास का भौतिक कब्जा सौपा गया था। श्री जोगेन्द्रसिंह पुत्र श्री सोहन सिंह द्वारा दिनांक 26.09.2013 को उप पंजीयक कार्यालय द्वारा उक्त आवास का पंजीयन करवा लिया गया। पंजीयन पश्चात श्री जोगेन्द्रसिंह पुत्र श्री सोहन सिंह द्वारा आवास का वैचान श्रीमती लक्ष्मी काजवानी पत्नि श्री सुन्दरदास काजवानी को दिनांक 26.09.2013 को कर दिया गया। जो कि पंजीयन विभाग की पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 1812 में पृष्ठ संख्या 182 क्रम संख्या 2013006173 पर पंजीबद्ध किया गया। तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 4243 के पृष्ठ संख्या 219 से 229 पर दिनांक 26.09.2013 को चस्पा किया गया है।अब श्रीमती लक्ष्मी काजवानी पत्नि श्री सुन्दरदास काजवानी ने उक्त आवास से संबंधित विक्रय चैनल प्रस्तुत कर स्वयं के नाम दोहरा पंजीयन उपरांत नाम हस्तान्तरण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। श्रीमती लक्ष्मी काजवानी पत्नि श्री सुन्दरदास काजवानी का नाम मण्डल रिकार्ड में प्रतिस्थापन की कार्यवाही विचाराधीन है। अतः उक्त कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस जाहिर आम सूचना की विज्ञप्ति के प्रकाशन के 10 दिवस में अपनी उजरदारी / आपत्ति मय सबूत एवं पहचान के दस्तावेज के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद मियाद गुजरने पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी, नाम प्रतिस्थापन की अग्रिम कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।

- सहायक प्रशासनिक अधिकारी राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड अजमेर

उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी का मेड़ता दौरा आज

मेड़ता सिटी,(निसं)। मेड़ता क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे रेण ओवरब्रिज का विधिवत शुभारंभ गुरुवार 9 अप्रैल को राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी द्वारा विधिवत रूप से किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं, प्रशासनिक अधिकारियों एवं रेण कस्बे के नागरिकों द्वारा तैयारियां जोर-शोर से की जा रही हैं। मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम कलरू ने बताया कि 9 अप्रैल को सुबह 10 बजे रेण में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ओवरब्रिज का लोकार्पण करेंगी। इसके साथ ही मेड़ता विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न सड़कों का भी शिलान्यास किया जाएगा।

आम-सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स आर.के. ईन्वेस्टमेंन्ट, पाटनी सदन तेली मोहल्ला, किशनगढ़, जिला अजमेर (राजस्थान) 305801 एक भागीदारी फर्म है, जो कि रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, अजमेर के पास रजिस्ट्रेशन नं. RF/AJM/2023/2945 से पंजीकृत है। उक्त फर्म में निम्न भागीदार, निवासीगण मदनगंज किशनगढ़, जिला अजमेर, राजस्थान से है। (1) अशोक पाटनी, (2) सुशीला पाटनी, (3) सुरेश पाटनी, (4) शान्ता पाटनी, (5) विमल पाटनी, (6) तारिका पाटनी, (7) विनीत पाटनी, (8) शुचि पाटनी, (9) विकास पाटनी, (10) श्रद्धा पाटनी, (11) विनय पाटनी, (12) विवेक पाटनी, (13) ऋषभ पाटनी, (14) आदि पाटनी। वर्तमान में उक्त भागीदारी फर्म में श्रीमति गहना पाटनी, पत्नी श्री ऋषभ पाटनी, ने दिनांक 01/04/2026 से भागीदारी ग्रहण की है। अतः इस संबन्ध में यदि किसी को कोई आपत्ति, ऐतराज़ हो तो प्रकाशन तिथि से 07 दिवस में जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, आर.पी.एस.सी. के पीछे, जयपुर रोड़, अजमेर (राजस्थान) में अपना ऐतराज़ मय सबूत प्रस्तुत करें, बाद मियाद में कोई ऐतराज़ मान्य नहीं होगा। मैसर्स आर.के. ईन्वेस्टमेन्ट, (सुरेश पाटनी) प्रबंध भागीदार

आम-सूचना

हमारी साझेदारी फर्म रिषभ इन्डस्ट्रीज जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस प्लॉट न.-G-68, रीको इन्डस्ट्रीयल एरिया गेगल जिला अजमेर में स्थित है जो कि रजिस्ट्रार ऑफ फर्म अजमेर में पंजीयन क्रमांक 17/01/83/95 दिनांक 18 अक्टूम्बर 1995 पर पंजीकृत है। उक्त फर्म में निम्न परिवर्तन किये गये है-(1) वर्तमान में साझेदार-श्रीमति शाति देवी पत्नी श्री रामगोपाल पुरोहित की अकस्मात् मृत्यु दिनांक 6 जनवरी 2026 को होने के कारण साझेदारी फर्म में से श्रीमति शांति देवी को सेवानिवृत किया जाता है (2) वर्तमान में साझेदार-श्रीमति अमिता चोरड़िया पत्नी श्री मुकेश चोरड़िया को दिनांक 28 फरवरी 2026 को उनके दुसरे व्यवसाय में व्यस्तता के कारण साझेदारी फर्म में से सेवानिवृत किया जाता हेतु अब इस फर्म में (1) राजेन्द्र पारीक पुत्र रामगोपाल पुरोहित (2) मुकेश चोरड़िया पुत्र शांतिलाल चोरड़िया साझेदार है। उक्त परिवर्तन में किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के सात दिवस में रजिस्ट्रार ऑफ फर्म जिला उद्योग केंद्र अजमेर में मय सबूत सूचित करें। बाद मियाद कोई एतराज स्वीकार नहीं किया जाएगा। राजेंद्र पारीक (साझेदार)

आम-सूचना

हमारी साझेदारी फर्म श्री चारभुजा स्टोनेक्स रजिस्टर ऑफिस प्लॉट न.5 व 6 इंडस्ट्रियल एरिया किशनगढ़ रोड रूपनगढ़ में स्थित हैं जो कि रजिस्ट्रार ऑफ फर्म अजमेर में पंजीयन क्रमांक RF/AJM/2020/4009 दिनांक 3 दिसम्बर 2020 पर पंजीकृत हैं। उक्त फर्म में दिनांक 27 जनवरी 2026 को निम्न परिवर्तन किये गये है- वर्तमान में निम्न साझेदार-(1)श्री दुर्गाप्रसाद दाधीच पुत्र श्री कालूराम (2) श्री ललितकुमार दाधीच पुत्र श्री कालूराम दाधीच (3) श्रीमती श्वेतादेवी पत्नी श्री ललित कुमार दाधीच (4) श्रीमती प्रेमलता पत्नी श्री दुर्गाप्रसाद दाधीच है। फर्म में सेवानिवृत साझेदार (1) श्रीमती श्वेतादेवी पत्नी श्री ललितकुमार दाधीच (2) श्रीमती प्रेमलता पत्नी श्री दुर्गाप्रसाद दाधीच। नया साझेदार (1)श्रीमती संतोषदेवी पत्नी श्री सूर्यप्रकाश शर्मा (2) श्रीमती मृदुला पत्नी श्री मनोज कुमार शर्मा है। उक्त परिवर्तन में किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के सात दिवस में रजिस्ट्रार ऑफ फर्म जिला उद्योग केंद्र अजमेर में मय सबूत सूचित करें। बाद मियाद कोई एतराज आपत्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा। दुर्गाप्रसाद दाधीच (साझेदार)

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम VATSAL से बदलकर VATSAL GOSWAMI रख लिया है भविष्य में सभी उद्देश्यों के लिए इसी नाम से जाना पहचाना जावे। पता -हरीभाऊ उपाध्याय नगर अजमेर।

NAME CHANGE

I KRISHNAVENI is Mother of Army No. 15790605Y Rank- HAV (GNR) Name-S N S MURTHY PALURI Serving in indian Army I have changed my Name in my Son Army service record from KRISHNAVENI to PALURI KRISHNAVENI Vide Affidavit No. CF 348876 Before Court Nasirabad

NAME CHANGE

I SRI RAMA KRISHNAYYA is Father of Army No. 15790605Y Rank-HAV (GNR) Name- SNS MURTHY PALURI Serving in indian Army I have changed my Name in my Son Army service record from SRI RAMA KRISHNAYYA to PALURI SRI RAMA KRISHNAYYA Vide Affidavit No. CF 348871 Before Court Nasirabad

विधायक विकास चौधरी ने किया अरांई क्षेत्र का सघन दौरा

विधायक विकास चौधरी ने चाय की चौपाल पर सुनी जनसमस्याएं।

अरांई,(निसं)। विधायक विकास चौधरी ने बुधवार को अरांई क्षेत्र का दौरा कर क्षेत्रवासियों से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने जहाँ एक ओर विकास कार्यों की प्रगति जाँची, वहीं दूसरी ओर शोकाकुल परिवारों के बीच पहुँचकर उन्हें संबल प्रदान किया।

चाय की चौपाल पर जनसुनवाई: विधायक चौधरी ने अपने दौरे की शुरुआत अरांई क्षेत्र के विभिन्न गांवों में 'चाय की चौपाल' के साथ की। स्थानीय ग्रामीणों के साथ चाय की चुस्कियों के बीच विधायक ने बेहद आत्मीयता से उनकी समस्याओं को सुना।

> ■ स्थानीय ग्रामीणों के साथ चाय की चुस्कियों के बीच विधायक ने बेहद आत्मीयता से उनकी समस्याओं को सुना

ग्रामीणों ने पानी, बिजली, और सड़कों से जुड़ी अपनी व्यथा साझा की, जिस पर विधायक ने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। विकास कार्यों का निरीक्षण एवं नई कार्ययोजना पर चर्चा- क्षेत्र के विकास को गति देने के उद्देश्य से विधायक विकास चौधरी ने अरांई में चल रहे विभिन्न सरकारी निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता न करने की हिदायत दी। साथ ही, आगामी बजट और योजनाओं को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र की नई जरूरतों को चिन्हित किया। प्रमुख सड़कों और सामुदायिक भवनों के निर्माण की नई रूपरेखा (ब्लूप्रिंट) तैयार की। अधूरे पड़े कार्यों को समय सीमा में पूरा करने का संकल्प दोहराया।

भाजपा नेताओं की गिरती भाषा लोकतंत्र के लिए खतरा-डॉ.जयपाल

अजमेर, (निसं)। असम के मुख्यमंत्री हीमंता बिस्वा द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर की गई अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी न केवल निंदनीय है, बल्कि अत्यंत शर्मनाक भी है। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉ. राजकुमार जयपाल ने बयान पर नाराजगी जताई। डॉ. जयपाल ने कहा, यह बयान राजनीतिक आलोचना नहीं, बल्कि देश के एक वरिष्ठ दलित नेता का अपमान है, जो भारतीय लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। इस प्रकार की भाषा भाजपा की संकीर्ण और दलित विरोधी मानसिकता को उजागर करती है। डॉ. राजकुमार जयपाल ने कहा कि भाजपा नेताओं की भाषा लगातार गिरती जा रही है। विरोध की राजनीति में मर्यादा और सम्मान का पूरी तरह अभाव हो चुका है। मल्लिकार्जुन खरगे जैसे वरिष्ठ और सम्मानित नेता के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करना न केवल व्यक्तिगत हमला है, बल्कि दलित समाज का भी अपमान है।

कार्यालय नगरपालिका बिजयनगर जिला ब्यावर राज0

टैलीफोन नम्बर- 01462-230051 | गांधी उद्यान-ब्यावर रोड़, बिजयनगर | ई-मेल npvijaynagar@gmail.com

क्रमांक- न.पा.बि./भूमि/2025/48 | आपत्ति आमन्त्रित सूचना | दिनांक : 6-4-26

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि निम्न वर्णित आवेदक ने 69-A के तहत पालिका को आवेदन प्रस्तुत किया है, जिन पर नियमानुसार कार्यवाही की जाकर पट्टे दिये जायेगें।

अतः इन भूखण्डों के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेजो / प्रमाण के 7 दिवस की अवधि में कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत कर देवें। समयावधि गुजर जाने के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

क्र. सं.	मकान मालिक का नाम	मौहल्ले का नाम	क्षेत्रफल
1	लोकेश कुमार शर्मा पुत्र सत्यदेव शर्मा	आबादी क्षेत्र ग्राम बरल द्वितीय ख.न. 23 हाल न. 2622/1660 भूखण्ड संख्या 10	148.64 वर्गमीटर

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका बिजयनगर

कार्यालय नगरपालिका बिजयनगर जिला ब्यावर राज0

टैलीफोन नम्बर- 01462-230051 | गांधी उद्यान-ब्यावर रोड़, बिजयनगर | ई-मेल npvijaynagar@gmail.com

क्रमांक- न.पा.बि./राजस्व/2026-27/93 | आपत्ति सूचना | दिनांक : 8-4-26

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि निम्नांकित विवाह समारोह स्थल संचालक के द्वारा उपने विवाह समारोह स्थल के पंजीयन हेतु आवेदन किये है। जिसका विवरण निम्नानुसार है

क्र. सं.	संचालक का नाम	विवाह समारोह स्थल का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग गज में)
1	प्रो. श्री दुर्गालाल तेली पुत्र श्री गंगाराम तेली	सालासर फार्म, कन्हैया कॉलोनी, बिजयनगर (भूखण्ड सं. 44 से 52 राजस्व ग्राम बिजयनगर के खसरा सं. 71 से 78 व 87 से 91)	2600.00

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका बिजयनगर

कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, अजमेर

क्रमांक : 34 | जाहिर आम सूचना | दिनांक -08-04-26

आवास संख्या 1/262, साकेत नगर, ब्यावर जिसका क्षेत्रफल 44.85 वर्ग मीटर है, का आवंटन मण्डल द्वारा श्री सुरेश चन्द्र मोदानी पुत्र श्री राम गोपाल मोदानी को किया गया था। उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 23.07.1987 को श्री सुरेश चन्द्र मोदानी पुत्र श्री राम गोपाल मोदानी को सौपा गया। श्री सुरेश चन्द्र मोदानी पुत्र श्री राम गोपाल मोदानी द्वारा आवास का वैचान जरिये इकरारनामा एवं मुख्तारनामा आलेखित कर श्रीमती गोपी बाई पत्नी श्री गोबिंद राम साधवानी को किया गया। उक्त प्रक्रिया में इकरारनामा श्रीमती गोपी बाई तथा मुख्तारनामा श्रीमती गोपी बाई के पति श्री गोबिंद राम साधवानी के नाम निष्पादित किया गया। श्रीमती गोपी बाई के द्वारा इस बाबत शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है, कि उनके पति श्री गोबिंद राम साधवानी के द्वारा उनके जीवन काल में आवास का बेचान अन्यत्र नही किया गया है। तत्पश्चात श्री गोबिंद राम साधवानी की मृत्यु के पश्चात श्रीमति गोपी बाई द्वारा उक्त आवास का विक्रय इकरारनामा, मुख्तारनामा व वसीयतनामा द्वारा श्री अशोक सिंह चौहान पुत्र श्री राजू सिंह के पक्ष मे किया गया। वर्तमान में श्री अशोक सिंह चौहान पुत्र श्री राजू सिंह द्वारा उक्त आवास के नियमितीकरण हेतु कार्यालय में विक्रय संबंधित अभिलेख एंव अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए आवेदन किया गया है जिसके आधार पर उनके पक्ष में नियमितीकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अतः उक्त आवास के नियमितिकरण की कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन के 07 दिवस में अपनी आपत्ति मय साक्ष्य एवं पहचान के दस्तावेज सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। मियाद पूर्ण होने के पश्चात् एवं कोई आपत्ती प्राप्त नही होने पर उक्त आवास के नियमितिकरण की अग्रिम कार्यवाही मण्डल नियमानुसार सम्पादित कर दी जावेगी।

- आवासीय अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-अजमेर

कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, अजमेर

क्रमांक : 41 | जाहिर आम सूचना | दिनांक -08-04-26

राजस्थान आवासन मण्डल आवास संख्या 4-8-67, फेज-चतुर्थ, किशनगढ़ क्षेत्रफल 44.00 वर्ग मीटर मूल आवंटी श्री ज्ञानचंद सैन पुत्र स्व. श्री किशन गोपाल सैन को आवंटित कर दिनांक 07.10.2020 को आवास का भौतिक कब्जा सौपा गया था। श्री ज्ञानचंद सैन पुत्र स्व. श्री किशन गोपाल सैन द्वारा दिनांक 31.12.2021 को उप पंजीयक कार्यालय द्वारा उक्त आवास का पंजीयन करवा लिया गया है। पंजीयन पश्चात् श्री ज्ञानचंद सैन पुत्र स्व. श्री किशन गोपाल सैन द्वारा आवास का वैचान श्री सुनील कुमार पुत्र श्री मानालाल को दिनांक 02.03.2022 को कर दिया गया। जो कि पंजीयन विभाग की पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 956 में पृष्ठ संख्या 123 क्रम संख्या 202203006102758 पर पंजीबद्ध किया गया। तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 3104 के पृष्ठ संख्या 234 से 248 पर दिनांक 02 03.2022 को चस्पा किया गया है। अब श्री सुनील कुमार पुत्र श्री मानालाल ने उक्त आवास से संबंधित विक्रय चैनल प्रस्तुत कर स्वयं के नाम दोहरा पंजीयन उपरांत नाम हस्तान्तरण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। श्री सुनील कुमार पुत्र श्री मानालाल का नाम मण्डल रिकार्ड में प्रतिस्थापन की कार्यवाही विचाराधीन है।अतः उक्त कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस जाहिर आम सूचना की विज्ञप्ति के प्रकाशन के 10 दिवस में अपनी उजरदारी / आपत्ति मय सबूत एवं पहचान के दस्तावेज के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। बाद मियाद गुजरने पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी, नाम प्रतिस्थापन की अग्रिम कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।

- सहायक प्रशासनिक अधिकारी राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-अजमेर

सावित्री तिराहे पर सीसी सड़क निर्माण शुरू,15 दिनों के लिए ट्रैफिक डायवर्ट

अजमेर,(निसं)। शहर के व्यस्ततम सावित्री तिराहे पर जलभराव और बार-बार सडक टूटने की पुरानी समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा यहां सीसी सडक का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। निर्माण के चलते सावित्री तिराहे से अजमेर क्लब तक का मार्ग अगले 15 दिनों के लिए पूरी तरह डायवर्ट कर दिया गया है।

12.70 लाख की लागत से बनेगी 70 मीटर सडक: पीडब्ल्यूडी विभाग ने सावित्री तिराहे पर करीब 12.70 लाख रुपए की लागत से 70 मीटर लंबी सीसी सडक का निर्माण शुरू किया है। कार्य के पहले चरण में जेसीबी मशीन की मदद से पुरानी और जर्जर डामर सडक को उखाड़ा गया। सीसी सडक बनने से भविष्य में बारिश के दौरान होने वाले जलभराव और गड्ढों की समस्या समाप्त होने की उम्मीद है। यातायात का बदला रूट, यहां से निकलेंगे वाहनः पुलिस प्रशासन ने अजमेर क्लब और सावित्री तिराहे पर बैरिकेडिंग कर चारपहिया वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया है।

> ■ बिना सूचना रूट बदलने से जनता बेहाल

हालांकिए दोपहिया वाहन चालक उखड़ी हुई सडक के बीच से निकलते नजर आए। नया ट्रैफिक प्लान तैयार किया है, जिसके अंतर्गत बस स्टैंड से चौपाटी के लिए अब कलेक्ट्रेट सर्किल, अजमेर क्लब, जेएलएन मेडिकल चौराहा और बजरंगगढ़ सर्किल होकर जाना होगा। इसी प्रकार चौपाटी से बस स्टैंड के लिए वाहनों को रामभवन, कलेक्ट्रेट निवास और नई कोर्ट बिल्डिंग की तरफ मोड़ा गया है। इसके साथ ही सावित्री स्कूल, कॉलेज, बीएसएनएल और डाक विभाग जाने वाले लोगों को फिलहाल पैदल ही आवागमन करना पड़ रहा है।

बिना सूचना डायवर्जन, जाम, जनता की नाराजगी और रोजगार पर संकट: अचानक किए गए रूट डायवर्जन ने आम जनता की मुश्किलें बढ़ा दीं। पूर्व सूचना न होने के कारण वाहन चालक रास्ता तलाशते भटकते रहे। कलेक्ट्रेट सर्किल, जिला परिषद, अग्रसेन सर्किल और जेएलएन अस्पताल मार्ग पर वाहनों का दबाव बढने से लंबा जाम लग गया। सावित्री चौराहे पर ठेला लगाने वाले संचालकों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि मार्ग बंद रहने से उनके व्यापार पर सीधा असर पड़ेगा, जिससे परिवार का भरण-पोषण मुश्किल हो जाएगा।

कार्यालय ग्राम पंचायत सान्दोलिया पंचायत समिति अरांई, अजमेर

क्रमांक: ग्रा.प.सा./2026-27/05 | ई- निविदा सूचना संख्या 01/2026-27 | दिनांक: 08/4/26

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत सान्दोलिया के अधीनस्थ ग्रामों में वित्तीय वर्ष 2026-27 में घर एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से कचरा संग्रहण एवं पृथक्ककरण, गांवों की सड़क एवं नाली सफाई कार्य तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसर की सफाई कार्य की सेवाओं हेतु इच्छुक जी.एस.टी. पंजीकृत निविदादाताओं/फर्मो से निविदाएँ आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक प्रतिष्ठानों से वार्षिक दर संविदा/दर अनुबन्ध करने हेतु निर्धारित प्रपत्र ई-प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया से वेबसाइट http://www.rproc.rajasthan.gov.in पर आमंत्रित की जाती है। उपरोक्त निविदाएं वेब पोर्टल http:www.sppp.rajasthan.gov.in पर विस्तृत विवरण देखा जा सकता है। निविदाएं निविदा खोलने की दिनांक को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष क्रय समिति द्वारा खोली जायेगी।

क्र.स.	ग्राम पंचायत	NIB NO	UBN NO	Tender Id
1	सान्दोलिया	ZAJ2627A0033	ZAJ2627WSOB00032	2026_PRD_550634_1

प्रशासक, ग्राम पंचायत सान्दोलिया पंचायत समिति अरांई, अजमेर

ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सान्दोलिया पंचायत समिति अरांई, अजमेर

कार्यालय ग्राम पंचायत भगवन्तपुरा पंचायत समिति अरांई, अजमेर

क्रमांक: ग्रा.प.भ./2026-27/02 | ई- निविदा सूचना संख्या 01/2026-27 | दिनांक: 08/4/26

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत भगवन्तपुरा के अधीनस्थ ग्रामों में वित्तीय वर्ष 2026-27 में घर एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से कचरा संग्रहण एवं पृथक्ककरण, गांवों की सड़क एवं नाली सफाई कार्य तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसर की सफाई कार्य की सेवाओं हेतु इच्छुक जी.एस.टी. पंजीकृत निविदादाताओं / फर्मो से निविदाएँ आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक प्रतिष्ठानों से वार्षिक दर संविदा / दर अनुबन्ध करने हेतु निर्धारित प्रपत्र ई-प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया से वेबसाइट http://www.rproc.rajasthan.gov.in पर आमंत्रित की जाती है। उपरोक्त निविदाएं वेब पोर्टल http:www.sppp.rajasthan.gov.in पर विस्तृत विवरण देखा जा सकता है। निविदाएं निविदा खोलने की दिनांक को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष क्रय समिति द्वारा खोली जायेगी।

क्र.स.	ग्राम पंचायत	NIB NO	UBN NO	Tender Id
1	भगवन्तपुरा	ZAJ2627A0034	ZAJ2627WSOB00033	2026_PRD_550648_1

प्रशासक, ग्राम पंचायत भगवन्तपुरा पंचायत समिति अरांई, अजमेर

ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत भगवन्तपुरा पंचायत समिति अरांई, अजमेर

जेठाना व गोला में योजनाओं की प्रगति का लिया जायजा

अजमेर / मांगलियावास(निसं)। अजमेर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामप्रकाश ने बुधवार को पीसांगन पंचायत समिति क्षेत्र का दौरा कर विभिन्न विकास कार्यों और योजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जेठाना ग्राम पंचायत पहुंचकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चल रहे कार्यों की प्रगति, गांव की साफ-सफाई व्यवस्था, सफाई रजिस्टर एवं पट्टा बुक का गहन निरीक्षण किया।

सीईओ ने निर्माणाधीन अटल ज्ञान केंद्र का भी जायजा लिया और कार्य की गुणवत्ता व समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि गांवों में स्वच्छता व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा मनरेगा के तहत अधिक से अधिक श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। निरीक्षण के दौरान ब्लॉक कोऑर्डिनेटर भावना सिंह, ग्राम विकास अधिकारी अर्जुन गुर्जर एवं कनिष्ठ सहायक संपूर्ण गैना उपस्थित रहे। इसके बाद सीईओ पंचायत समिति कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यालयीन व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। तत्पश्चात गोला क्षेत्र में गुगरिया मंगरी एवं चरागाह विकास कार्यों का अवलोकन कर ग्रामीण विकास को गति देने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस मौके पर अतिरिक्त विकास अधिकारी महेंद्र मालाकार, सहायक अभियंता आरडी गुर्जर, तेजपाल गुर्जर, शलभ टंडन, जेईएन प्रमोद कुमावत एवं वीडीओ एकता मुडोतिया सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।

किसान की13 बीघा खेत में कटी फसल बारिश की भेंट चढ़ी

नसीराबाद, (निसं)। अजमेर जिले में हो रही बेमौसम बारिश ने जहां एक ओर किसानों की कमर तोड़ दी है, वहीं नसीराबाद तहसील के ग्राम गादेरी से एक हृदयविदारक मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला किसान की करीब 13 बीघा खेत में कटी पड़ी चने की फसल बारिश की भेंट चढ़ गई। पीड़िता का आरोप है कि दबंगों ने उसे महीने भर से फसल उठाने नहीं दी, जिसके कारण पकी पकाई उपज आंखों के सामने बर्बाद हो गई।

खेत में ही सड़ गई 13 बीघा चने की फसल: ग्राम गादेरी निवासी महिला किसान मनफूल ने अजमेर जिला कलेक्टर लोक बंधु को ज्ञापन सौंपकर आपबीती सुनाई। मनफूल के अनुसार उसने अपने खसरा नंबर 503 (10 बीघा) और 512 (3 बीघा 10 बिस्वा) में मेहनत से चने की फसल उगाई थी। फसल पकने के बाद करीब एक माह पहले उसने कटाई भी कर ली थी, लेकिन वह उसे घर नहीं ले जा सकी। हाल ही में हुई मूसलाधार बारिश के चलते खेत में पड़ी पूरी फसल सडक़र नष्ट हो गई है। दबंगई और धमकियों का आरोप: पीड़िता ने ज्ञापन में गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि गांव के ही कुछ प्रभावशाली लोग पिछले एक महीने से उसे कटी हुई फसल उठाने से रोक रहे थे। जब महिला ने इसका विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई।

> ■ पीड़ित महिला किसान ने कलेक्टर से लगाई न्याय की गुहार,आरोप है कि दबंगों ने उसे महीने भर से फसल उठाने नहीं दी, जिसके कारण पकी पकाई उपज आंखों के सामने बर्बाद हो गई

जे-17011/658/2025-आईसी-भाग (2)

युवा मामले और खेल मंत्रालय

(युवा मामले विभाग)

GPOA-3, Netaji Nagar, New Delhi-110023

वेबसाइटः https://yas.gov.in

वाक इन इंटरव्यू

कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर कंसल्टेंट्स की भर्ती के लिए वॉक-इन-इंटरव्यू 13 अप्रैल, 2026 को युवा मामले और खेल मंत्रालय, GPOA-3, नेताजी नगर, नई दिल्ली-110023 में होगा।

नोटः वैकेंसी, दूसरी जानकारी और अगर कोई सुधार हो, तो कृपया हमारी वेबसाइट https://yas.gov.in पर रेगुलर आते रहें। इस बारे में कोई अलग नोटिस अखबार में नहीं छपेगा।

एसडी/-

CBC 47107/11/0001/2627 — भारत सरकार के अवर सचिव

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

रजिस्टर्ड ऑफिस विद्युत भवन , पंचशील नगर , माकड़वाली रोड अजमेर, कार्यालय सहायक अभियंता (प व स) अ वि वि नि लि केकड़ी

फ़ोन न.ई- मेल01467-220067, 9413391626, E-Mail- ajm.aen.23@gmail.com,web site www.avvnl.com

पत्रांक :- अ.वि.वि.नि.लि./स. अ./(प व स)/संस्था./केकड़ी/2025-2026/प्रेषित 63 | दिनांक :- 07/04/2026

कार्यालय सूचना

अजमेर विद्युत् वितरण निगम के कार्यालय सहायक अभियंता (पवस) अविविनिलि, केकड़ी जिला-अजमेर उपखण्ड में सहायक द्वितीय पद पर कार्यरत श्री शंकर लाल रेगर पुत्र स्व. श्री रामधन रेगर, निवासी कोहड़ा, केकड़ी दिनाँक 10.02.2026 से से बिना किसी पूर्व सूचना या अधिकारी की अनुमति के अपने कार्य से अनुपस्थित चल रहा है, को इस कार्यालय के पत्र सं. 2091 दिनाँक 18.02.2026 द्वारा नोटिस दिया गया जिसे उनके द्वारा प्राप्त किया गया लेकिन कार्य पर उपस्थित नहीं हुये। उक्त नोटिस के आधार पर इस कार्यालय के पत्र सं. 3031 दिनाँक 24.02.2026 द्वारा अंतिम अनुस्मारक पत्र जारी किया गया जिसे उनके द्वारा प्राप्त किया गया, इसके बाद आरोप पत्र 10 /27.02.2026 जारी किया गया ,जिसे स्वयं कार्यालय के कर्मचारी द्वारा उपरोक्त कर्मचारी के आवास पर उपस्थित होकर दिया गया, और व्यक्तिगत रूप से कार्य पर उपस्थित होने हेतु सूचित करवाया गया जिसे कर्मचारी ने प्राप्त किया और कार्यालय प्रति पर हस्ताक्षर भी किये। लेकिन फिर भी उक्त कर्मचारी द्वारा इस और ध्यान न देते हुए न ही कार्य पर उपस्थित हुए और न ही किसी प्रकार की सूचना इस कार्यालय में प्रस्तुत की। इसके पश्चात् उच्च अधिकारीयों के निर्देशनुसार उक्त कर्मचारी को अंतिम नोटिस पत्र सं. 3125 दिनाँक 10.03.2026 एंव Rminder-I पत्र सं. 3166 दिनाँक 16.03.2026 जारी किया गया। उक्त कर्मचारी द्वारा पत्र प्राप्त किया गया परन्तु आज दिनांक तक भी कार्य पर उपस्थित नहीं हुए।

उक्त सभी तथ्यों के आधार पर श्री शंकर लाल रेगर पुत्र स्व. श्री रामधन रेगर, निवासी कोहड़ा, केकड़ी को सूचित किया जाता है कि आप तुरंत प्रभाव से कार्यालय सहायक अभियंता (पवस) अविविनिलि, केकड़ी से संपर्क करे अन्यथा आपके खिलाफ राजस्थान राज्य विद्युत् मंडल, तकनीकी कामगार सेवा अधिनियम 1975 के नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए नियमानुसार निगम सेवा से बर्खास्त करने की कार्यवाही की जाएगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी।

राज.संवाद/सी/25/447 — सहायक अभियंता (पवस)